20/3/25

पीठासीन अधि. पक्ष 50 प्रार्थी वकील एवं विपक्षी वकील उपस्थित है। विपक्षी सं. 1 की ओर दि. 25/2/25 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 9 नि. 7 जा दी का पेश किया गया था जिसमें निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 राजेंद्र पिता प्रभु बेकारी सामाजिक पारिवारिक कारणों से पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ दिनांक 13/2/25 को मुख्य विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया जिसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया प्रार्थी वकील को कोई आपत्ति नहीं होने से जवाब नहीं देकर सिधे बहस के लिए निवेदन किया गया। उभय पक्षों की प्रा.पत्र 9(7) पर बहस सुनी गई एवं उभय पक्ष हारा प्रा.पत्र अन्तर्गत 212 RTA पर भी बहस के लिए निवेदन किया मूल प्रा.पत्र का जवाब नहीं देकर सिधे बहस के लिए कहा प्रा.पत्र की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रा.पत्र 9(7) पर प्रार्थी वकील को कोई आपत्ति नहीं होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 13/2/25 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया जिसे अपास्त किया जाकर विपक्षी सं. 1 को दो तरफा कार्यवाही का मौका जारी किया जाता है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं हारा निवेदन किया कि मूल वाद के विस्तारण तक रोकथाम एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थी हारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवासीयों की ढाणी पटवारमण्डल रामपरमाला के खाता सं. 16 में अंकित आराजी कुल 5 रकबा 0.48 हे. मूमि एवं खाता सं. 42 में अंकित आराजी कुल 6 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि मूल वाद के विस्तारण तक रोकथाम एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वाद वार्ता आराजी को किसी तरह रहन बय बय आसीस नहीं करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली रोजनामचा मुकर्रर तारीख से कम हो।

20/03/25

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रामगढ़